

## प्रेस नोट दिनांक 01.10.2020

1. दिनांक 30.09.20 को वादी उ०नि० श्री मुनिमन रंजन दूबे थाना कैण्ट अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि 1.मन्नु 2.रामगणेश पुत्रगण माता प्रसाद नि०गण मुरावन टोला रेतिया थाना कैण्ट अयोध्या गिर० सभी व 04 अन्य व्यक्ति नाम पता अज्ञात अभियुक्तगण के कब्जे से 600 लीटर अपमिश्रित शराब, 02 किग्रा यूरिया व शराब बनाने का उपकरण बरामद होना तथा मौके पर 35 कुन्टल लहन नष्ट किया गया। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु०अ०सं० 462/20 धारा 60/63 आबकारी अधि० व 272 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 30.09.20 को वादी उ०नि० श्री विवेक कुमार सिंह थाना को०अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि दूधनाथ निषाद पुत्र जगदम्बा नि० रामपुर हलवारा थाना को०अयोध्या अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर अपमिश्रित शराब, 600ग्राम यूरिया, 200 ग्राम नौसादर बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 711/20 धारा 60 आबकारी अधि० व 272 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 30.09.20 को वादी उ०नि० श्री विजय कुमार यादव थाना हैदरगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अमरनाथ पुत्र रामबरन नि० करनाई थाना हैदरगंज अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 05 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना हैदरगंज में मु०अ०सं० 326/20 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 30.09.20 को वादी श्री जितेन्द्र कुमार मिश्रा पुत्र अम्बिका प्रसाद मिश्र नि० रहीमगंज थाना को०रूदौली अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राजकुमार पुत्र भगवती नि० रहीमगंज थाना को०रूदौली अयोध्या आदि 04 नफर रास्ते के विवाद को लेकर अभि०गण द्वारा वादी को मारना पीटना तथा गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके संबंध में थाना को०रूदौली में मु०अ०सं० 381/20 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।